

2/7/2024

पत्राक्षी पैरा हुई। वादी व वादी अभि. अनुपस्थित। वादी
वादी अभि. को शिल-शिल समय में तीन बार आवाज
दिये जाई गई. कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्राक्षी
अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज ही जाती है।
पत्राक्षी केसब शुमार होकर नमूल से कम हो।

पत्राक्षी
तहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर